

वाली रिक्तियों की कुल संख्या का लगभग बारह से तेरह गुना होंगे। केवल वे ही उम्मीदवार जो आयोग द्वारा इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उक्त वर्ष की प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों।

“टिप्पणी-I : आयोग, सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए अर्हक उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा, जिसका निर्धारण आयोग द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II में 33% अंक तथा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-I के कुल अर्हक अंकों पर आधारित होगा।

टिप्पणी-II : प्रश्न-पत्रों में, ऐसे कुछेक प्रश्नों को छोड़कर जिनमें ऋणात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) ऐसे प्रश्नों के लिए ‘सर्वाधिक उपयुक्त’ तथा ‘इतना उपयुक्त नहीं’ उत्तर को दिए जाने वाले विभिन्न अंकों के रूप में अन्तर्निहित होगी, उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (ऋणात्मक अंकन) दिया जाएगा।

- (i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के लिए चार विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक तिहाई (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा।
- (ii) यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों न हो और उस प्रश्न के लिए वही दण्ड होगा जो ऊपर बताया गया है।
- (iii) यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा। लिखित परीक्षा में खंड-II के उप-खंड (ख) में दिए गए विषयों के परम्परागत निबंधात्मक शैली के 9 प्रश्न पत्र होंगे जिसमें से 2 प्रश्न पत्र अर्हक प्रकार के होंगे। खंड-II (ख) के पैरा I के नीचे नोट (ii) भी देखें। सभी अनिवार्य प्रश्न पत्रों (प्रश्न पत्र I से प्रश्न पत्र VII तक प्राप्त अंकों) और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर उनका योग्यता क्रम निर्धारित किया जाएगा।

4. I जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में आयोग के विवेकानुसार यथानिर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें खंड II के उप खंड ‘ग’ के अनुसार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से लगभग दुगुनी होगी। साक्षात्कार के लिए 275 अंक (कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं) होंगे।

4. II इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग तथा साक्षात्कार) में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंतिम तौर पर उनके रैंक का निर्धारण किया जाएगा। उम्मीदवारों की विभिन्न सेवाओं का आबंटन परीक्षा में उनके रैंकों तथा विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए उनके द्वारा दिए गए वरीयताक्रम को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

परिशिष्ट I खण्ड I

परीक्षा की योजना

इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक चरण हैं :

- (1) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुपरक), तथा
 - (2) विभिन्न सेवाओं तथा पदों हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार)।
2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक (बहुविकल्पीय प्रश्न) प्रकार के दो प्रश्नपत्र होंगे तथा खंड II के उप-खंड (क) में दिए गए विषयों में अधिकतम 400 अंक होंगे। यह परीक्षा केवल प्राक्चयन परीक्षण के रूप में होगी। प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा। प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष में इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तथा पदों में भरी जाने

खंड II**1. प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय :****(क) प्रारंभिक परीक्षा :**

परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा।

टिप्पणी :

- दोनों ही प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे।
- सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II अर्हक प्रश्न पत्र होगा जिसके लिए न्यूनतम 33% अर्हक अंक निर्धारित किए गए हैं।
- प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।
- पाठ्यक्रम संबंधी विवरण खंड-III के भाग 'क' में उपलब्ध हैं।
- प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घंटे की अवधि का होगा। जहाँ कहीं भी दृष्टिबाधिता तथा गतिमान विकलांगता और प्रमस्तिष्क पक्षाघात से अत्यधिक पीड़ित अभ्यर्थी धीमी लेखन गति सीमा के कारण प्रभावित हों (न्यूनतम 40% दुर्बलता) को यद्यपि प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए प्रति घंटा बीस मिनट के अतिरिक्त समय की अनुमति होगी।

(ख) प्रधान परीक्षा :

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे :

अर्हक प्रश्न पत्र**प्रश्न पत्र-क**

(संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा।) 300 अंक

प्रश्न पत्र-ख.

अंग्रेजी 300 अंक
वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया जाएगा।

प्रश्न पत्र-I

निबंध 250 अंक

प्रश्न पत्र-II

सामान्य अध्ययन-I 250 अंक

(भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज)

प्रश्न पत्र-III

सामान्य अध्ययन-II 250 अंक

(शासन व्यवस्था, संविधान, शासन-प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

प्रश्न पत्र-IV

सामान्य अध्ययन-III 250 अंक

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन)

प्रश्न पत्र-V**सामान्य अध्ययन-IV**

250 अंक

(नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि)

प्रश्न पत्र-VI**वैकल्पिक विषय—प्रश्न पत्र-1**

250 अंक

प्रश्न पत्र-VII**वैकल्पिक विषय—प्रश्न पत्र-2**

250 अंक

उप-योग (लिखित परीक्षा)

1750 अंक

व्यक्तित्व परीक्षण

275 अंक

कुल योग

2025 अंक

उम्मीदवार नीचे पैरा-2 में दिए गए विषयों की सूची में से कोई एक वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं।

टिप्पणी :

- भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्र क एवं प्रश्न पत्र ख) मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी होगी। इन प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा।
- सभी उम्मीदवारों के 'निबंध', 'सामान्य अध्ययन' तथा वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन 'भारतीय भाषा' तथा अंग्रेजी के उनके अर्हक प्रश्न पत्र के साथ ही किया जाएगा परंतु, 'निबंध', 'सामान्य अध्ययन' तथा वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों पर केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में विचार किया जाएगा, जो इन अर्हक प्रश्न पत्रों में न्यूनतम अर्हता मानकों के रूप में भारतीय भाषा में 25% अंक तथा अंग्रेजी में 25% अंक प्राप्त करते हैं।
- तथापि भारतीय भाषाओं का प्रश्न पत्र का उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम राज्य के हैं।
- उम्मीदवारों द्वारा केवल प्रश्न पत्र I-VII में प्राप्त अंकों का परिगणन मेरिट स्थान सूची के लिए किया जाएगा। तथापि, आयोग को परीक्षा के किसी भी अथवा सभी प्रश्न पत्रों में अर्हता अंक निर्धारित करने का विशेषाधिकार होगा।
- भाषा के माध्यम/साहित्य के लिए उम्मीदवारों द्वारा लिपियों का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा :

भाषा**लिपि**

असमिया

असमिया

बंगाली

बंगाली

गुजराती

गुजराती

हिन्दी

देवनागरी

कन्नड़

कन्नड़

मलयालम	मलयालम	(xx)	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
मणिपुरी	बंगाली	(xxi)	मनोविज्ञान
मराठी	देवनागरी	(xxii)	लोक प्रशासन
नेपाली	देवनागरी	(xxiii)	समाज शास्त्र
उड़िया	उड़िया	(xxiv)	सांख्यिकी
पंजाबी	गुरमुखी	(xxv)	प्राणी विज्ञान
संस्कृत	देवनागरी	(xxvi)	निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का साहित्य :
सिंधी	देवनागरी या अरबी		असमिया, बंगाली, बोड़ो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी ।
तमिल	तमिल		
तेलुगु	तेलुगु		
उर्दू	फारसी		
बोड़ो	देवनागरी		
डोगरी	देवनागरी		
मैथिली	देवनागरी		
संताली	देवनागरी या ओलचिकी		

टिप्पणी :—संताली भाषा के लिए प्रश्न पत्र देवनागरी लिपि में छपेंगे किन्तु उम्मीदवारों का उत्तर देने के लिए देवनागरी या ओलचिकी-लिपि के प्रयोग का विकल्प होगा ।

2. प्रधान परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची :

- (i) कृषि विज्ञान
- (ii) पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
- (iii) नृविज्ञान
- (iv) वनस्पति विज्ञान
- (v) रसायन विज्ञान
- (vi) सिविल इंजीनियरी
- (vii) वाणिज्य तथा लेखा विधि
- (viii) अर्थशास्त्र
- (ix) विद्युत इंजीनियरी
- (x) भूगोल
- (xi) भू-विज्ञान
- (xii) इतिहास
- (xiii) विधि
- (xiv) प्रबन्धन
- (xv) गणित
- (xvi) यांत्रिक इंजीनियरी
- (xvii) चिकित्सा विज्ञान
- (xviii) दर्शन शास्त्र
- (xix) भौतिकी

नोट :

- (i) परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक (विवरणात्मक) प्रकार के होंगे।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा ।
- (iii) अर्हक भाषा प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र क तथा ख को छोड़कर सभी प्रश्नों के उत्तर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा ।
- (iv) जो उम्मीदवारों प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए उपर्युक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करते हैं, वे यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्दों में, यदि कोई हों, का विवरण स्वयं द्वारा चयन की गई भाषा के अतिरिक्त कोष्ठक (ब्रेकेट) में अंग्रेजी में भी दे सकते हैं । तथापि, उम्मीदवार यह नोट करें कि यदि वे उपर्युक्त नियम का दुरुपयोग करते हैं तो इस कारणवश कुल प्राप्तांकों, जो उन्हें अन्यथा प्राप्त हुए होते, में से कटौती की जाएगी और असाधारण मामलों में उनके उत्तर अनधिकृत माध्यम में होने के कारण उनकी उत्तर-पुस्तिका (ओं) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।
- (v) प्रश्न पत्र (भाषा के साहित्य के प्रश्न पत्रों को छोड़कर) केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे ।
- (vi) पाठयक्रम का विवरण खंड-III के भाग ख में दिया गया है ।

सामान्य अनुदेश (प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा)

(i) उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर स्वयं लिखने चाहिए । किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि दृष्टिहीन और चलने में असमर्थ और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवार जिनकी असमर्थता उनकी कार्य निष्पादन क्षमता (लेखन) (न्यूनतम 40% तक अक्षमता) को प्रभावित करती है, को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा और सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, दोनों में लेखन सहायता (स्क्राइब) की सहायता से परीक्षा में उत्तर लिखने की अनुमति होगी ।

(ii) दृष्टिहीन और चलने में असमर्थ और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवार जिनकी असमर्थता उनकी कार्य निष्पादन क्षमता (लेखन) (न्यूनतम 40% तक अक्षमता) को प्रभावित करती है, को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा और सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, दोनों में प्रति घंटा बीस मिनट का प्रतिकर समय दिया जाएगा।

टिप्पणी 1 : किसी लेखन सहायक (स्क्राइब) की योग्यता की शर्तें, परीक्षा हाल में उसके आचरण तथा वह सिविल सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में दृष्टिहीन उम्मीदवारों की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन संघ सेवा आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इनमें से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर दृष्टिहीन उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग लेखन सहायक के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

टिप्पणी 2 : इन नियमों का पालन करने के लिए किसी उम्मीदवार को तभी दृष्टिहीन उम्मीदवार माना जाएगा यदि दृष्टिदोष का प्रतिशत 40 (चालीस प्रतिशत) या इससे अधिक हो। दृष्टिदोष की प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कसौटी को आधार माना जाएगा :—

सुधारों के साथ			
	स्वस्थ आंख	खराब आंख	प्रतिशतता
वर्ग 0	6/9-6/18	6/24 से 6/36 तक	20 %
वर्ग I	6/18-6/36	6/60 से शून्य तक	40 %
वर्ग II	6/60-4/60 अथवा दृष्टि का क्षेत्र 10-20°	3/60 से शून्य तक	75 %
वर्ग III	3/60-1/60 अथवा दृष्टि का क्षेत्र 10°	एफ. सी. 1 फुट से शून्य तक	100 %
वर्ग IV	एफ. सी. 1 फुट से शून्य तक दृष्टि क्षेत्र 100°	एफ. सी. 1 फुट से शून्य तक दृष्टि का क्षेत्र 100°	100 %
एक आंख वाला व्यक्ति	6/6	एफ. सी. 1 फुट से शून्य तक	30 %

टिप्पणी 3 : दृष्टिहीन उम्मीदवार को स्वीकार्य छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड से आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 4 : (i) दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी।

(ii) आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी एक या सभी विषयों में अर्हक अंक निश्चित कर सकता है।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से न पढ़ी जा सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिये जायेंगे।

(iv) सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे।

(v) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई सगिठत सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा।

(vi) प्रश्न पत्रों में यथा आवश्यक एस.आई. (S.I.) इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा।

(vii) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करें।

(viii) उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की परंपरागत (निबंध) शैली के प्रश्न-पत्रों के लिए साइंटिफिक (नान-प्रोग्रामेबल) प्रकार के कैलकुलेटरों का प्रयोग करने की अनुमति है। यद्यपि प्रोग्रामेबल प्रकार के कैलकुलेटरों का प्रयोग उम्मीदवार द्वारा अनुचित साधन अपनाया जाना माना जाएगा। परीक्षा भवन में कैलकुलेटरों को मांगने या बदलने की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

ग-साक्षात्कार परीक्षण

1. उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने उम्मीदवार के परिचयवृत्त का अभिलेख होगा। उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे। यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है, इसमें उम्मीदवार मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच की जा सकती है।

2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण (क्रास एग्जामिनेशन) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से, उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता

है, परन्तु वह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है।

3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न-पत्रों से पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधारा और नई-नई खोजों में भी रुचि लें जो कि सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती हैं।

खंड III

परीक्षण का पाठ्य विवरण

नोट : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस खण्ड में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। क्योंकि कई विषयों के पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किए गए हैं।

भाग-क प्रारम्भिक परीक्षा

प्रश्न-पत्र-I (200 अंक) अवधि : दो घंटे

- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं।
- भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन।
- भारत एवं विश्व भूगोल – भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल।
- भारतीय राज्यतन्त्र और शासन – संविधान, राजनैतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, आदि।
- आर्थिक और सामाजिक विकास – सतत् विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि।
- पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जेव-विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है।
- सामान्य विज्ञान।

प्रश्न-पत्र-II (200 अंक) अवधि : दो घंटे

- बोधगम्यता
- संचार कौशल सहित अंतर-वैयक्तिक कौशल
- तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता
- निर्णय लेना और समस्या समाधान
- सामान्य मानसिक योग्यता
- आधारभूत संख्यनन (संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार-क्रम आदि) (दसवीं कक्षा का स्तर), आंकड़ों का निर्वचन (चार्ट, ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि-दसवीं कक्षा का स्तर)

टिप्पणी : 1 सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II अर्हक प्रश्न पत्र होगा जिसके लिए न्यूनतम 33% अर्हक अंक निर्धारित किए गए हैं।

टिप्पणी : 2 प्रश्न बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

टिप्पणी : 3 मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित हो, यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता है तब उसे अयोग्य ठहराया जाएगा।

भाग-ख

प्रधान परीक्षा

प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं।

सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पत्र-II से प्रश्न-पत्र-V) के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर-विरोधी सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दें।

परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पत्र-VI तथा प्रश्न-पत्र-VII) के पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर अर्थात् स्नातक डिग्री से ऊपर और स्नातकोत्तर (मास्टर्स) डिग्री से निम्नतर स्तर का है। इंजीनियरी, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न-पत्र का स्तर स्नातक की डिग्री के स्तर का है।

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा की योजना में सम्मिलित प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :—

भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पर अर्हक प्रश्न पत्र

इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है :

प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा :

- (i) दिए गए गद्यांशों को समझना
- (ii) संक्षेपण
- (iii) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार
- (iv) लघु निबंध